न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रोहिण्डी

बनाम

अप्रार्थी :– श्री कालुराम पुत्र श्रवणराम निवासी मालासगुसाईया

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 70 / 17

निर्णय दिनांक 02 / 11 / 2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रोहिण्डी ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद मालासगुसाईयां के ख.न 328 रकबा 0.0032 है. भूमि किस्म गोचर में मूंग की काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी के लड़के से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी दिनांक 15.9.2017 को अनुपस्थित रहा। अतः अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिकमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिकमित रकबा 0.0032 है. भूमि के 0.10 रूपये लगान का 50 गुणा 5/– अक्षरे पांच रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। साथ ही मौके पर बोई गई ग्वार की फसल को भू.अ.निरीक्षक रोहिण्डी द्वारा कुर्क कर निलाम की गई जिसमें अन्तिम बोली रूपये 60/ अक्षरे साठ रूपये श्री नटवर पुत्र श्रवणराम मेघवाल निवासी मालासगुसाईया की रही जो स्वीकृत की गई जुर्माना एंव फसल निलामी राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर एंव भू.अ. निरीक्षक रोहिण्डी को वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल द तर हो।

तहसीलदार परबतसर

17-18
...के पृष्ठ सं. 4
... 6/-1-6/1-606 को
...

तहसील राजस्व लेखाकार